

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नाण्डल

श्यामलाल बनान दुर्गासिंह (कौरा)

क्रमांक 14 पत्र 23/4/21 नं० 14 सन 2021

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्ल जज

नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

21 ✓ / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विचारापत्र को मल्लम नोटिस जारी किया जावे । पत्रावली दिनांक 23.4.21 को पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जज नाण्डल

प्र.स.प वादीगण के साथ तह कारेदार हेर उत्तराजीनाम के कब्र के हवटि के व गम्बा गुफा के कब्र (नं०) कारेदार

श्यामलाल बनान 23/4/21

सोहा सेन इ.प

रजिस्ट्रार

दुर्गासिंह

किशोर सिंह

गणपत लाल बिड़ला 3 d by me 1/3/21

(रतन लाल जेठे)

4/21

पकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसे सिंगह से पत्रावली तलब की गई। आपसी राजीनामा प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की ओर से अधिकार पत्र श्री रतनलाल जट अधिवक्ता ने पेश किया जिसे शा० पठ किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को राजीनामे को पढ़कर सुनाया गया। जिसे सुन समझकर स्वीकार किया। उभयपक्षकाराने आपसी राजीनामे में बताया कि ग्राम मादू, परिवारटका भादू तहसील भाण्डल में स्थित वर्तमान आराजी नं० 1699/1, 1699/2, 1699/3, 1699/4 की राजस्व बन्धो में की गई तरमीम मौके पर कब्जेनुसार नही होने से उन्हें निरस्त की जाकर पुनः राजस्व बन्धो में डुकस्ती की जाकर वादीगण का मौके पर कब्जे के आधार पर सत्र 2008 में हुए सहमति विभाजन आदेश के साथ सलेमन बन्धो अनुसार कुल आराजी नं० 1699 के उत्तरी भू-भाग पर सहमति विभाजन से वादीगण को प्राप्त आराजी नं० 1699/2 रकबा 0.0632 हेक्टेयर भूमि एवं शेष दक्षिणी भू-भाग पर आराजी सं. 1699/1, 1699/3 व 1699/4 को वर्तमान रकबे

तारीख
हुक्म

के अनुसार तरमीम किये जाने का निवेदन किया।

मैंने पञ्जावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान् के आपसी राजीनामे को व्याय हित में स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भादू परिवार हल्का भादू तहसील माण्डल में स्थित हाल आराजी नं. 1699/1, 1699/2, 1699/3, 1699/4 की राजस्व मक्शे में की गई तरमीम माँके पर कब्जेनुसार मही होने से उन्हें निरस्त की जाकर पुनः राजस्व मक्शे में डकस्ती की जाकर वादीगणका माँके पर कब्जे के आधार पर सन् 2008 में हुए सहमति विभाजन आदेश के साथ संलग्न नक्शे अनुसार मूल आराजी नं. 1699 के उत्तरी मू-भाग पर सहमति विभाजन से वादीगण को प्राप्त आराजी नं. 1699/2 रकबा 0.0632 हेक्टेयर भूमि एवं शेष दक्षिणी मू-भाग पर आराजी नं. 1699/1, 1699/3, व 1699/4 को वर्तमान रकबे अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसील माण्डल राजस्व मक्शे में तरमीम करे। तदनुसार डिडी जारी है। स्वर्चा करिकेन अपना-अपना वहन करे। पञ्जावली फैसल शुमार होकर नम्बर सँकम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

(आठ 20 नियम 6 / जापसी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिल्हा भीलवाडा राजस्थान
वडंजलारा श्री डॉ. पूजा सक्सेना (आठ/२०/२०१७)

अनुदान प्रकरण

श्री श्यामलाल डी० श्री लाडू नाई निवासी - भादू तहसील - माण्डल
श्री सत्यनारायण डी० श्री लाडू नाई _____ ॥ _____
श्री सीता डी० श्री लाडू नाई _____ ॥ _____

वादी

बनाम


श्री दुर्गा सिंह डी० श्री अक्षयसिंह चुडावत निवासी - मेजा तहसील - माण्डल
श्री विकास डी० श्री गणपत लाल विडला निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल
श्री गणपत लाल डी० श्री रामपाल विडला निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल
श्री गीता देवी डी० श्री कालूबाघ नाथ निवासी - बाथी करवेडा मालोला तहसील
राजस्थान राज्य परिषद तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल

प्रातिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा ३३ प्रॉड्युड मुकदमा नं० / वर्ष १५/२१ निर्णय दिनांक ०८-५-२१
ह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरुप अदालत व रिजरी वकील वादी
मनजानिय मुददई व श्री शजेश तिवाडी A.M. कालाभिव मुदावला पेश होकर हुकम
दिया जाता है कि डिप्टी दी जाती है कि वकील वादीगण का वादपत्र आपसी
जानामानुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
ग्राम भादू परिवार हल्का भादू तहसील माण्डल में स्थित हाल आराजी
नं० १६९९/१, १६९९/२, १६९९/३, १६९९/४ की राजस्व नक्शे में की गई
परमीम मौके पर कब्जेनुसार बही होने से उन्हें निरस्त की जाकर
पुनः राजस्व नक्शे में डुरुस्ती की जाकर वादीगण का मौके पर
कब्जे के आधार पर सन् २००८ में हुए सहमति विभाजन आदेश
के साथ सलेगन नक्शे अनुसार मूल आराजी नं० १६९९ के
उत्तरी अ-भाग पर सहमति विभाजन से वादीगण को प्राप्त
आराजी नं० १६९९/२ रकबा ०.०६३२ हेक्टेयर भूमि एवं
आज तारीख ०८-०५-२१ को मर हुकमअनु एव न्यायालय को भेजा गया है

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिल्हा भीलवाडा

श्रीव दक्षिणी भू-भाग पर आराजी नं. 1699/1, 1699/3 एवं
1699/4 को वर्तमान रकबे अनुसार राजस्व मन्थे में तर्मीम
क्रिये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल
राजस्व मन्थे में तर्मीम करे। शर्चा फरिक्तेन अपना-
अपना वहन करे।


उपस्थित अधिकारी
नंदा देवी मंतवड़ा